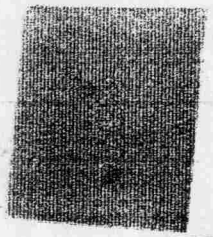

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांकः–एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/पार्ट–3/7201 जयपुर दिनांक 21/02/2017

परिपत्र

जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किये जा रहे है तथा राज्य के समस्त अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदको द्वारा स्वंय के स्तर पर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत ई–मित्रों के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित किये जाते है। इन आवेदकों में विद्यालय स्तर में अध्ययनरत कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों द्वारा या उनके अभिभावकों के माध्यम से उक्त आवेदन पत्र प्रेषित किये जाते है, जिससे विद्यार्थियों को काफी असुविधा महसूस होती है।

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 36028/1/2014– संस्थापन दिनांक 06.05.2016 (प्रति सलंग्न) के अनुसार राज्य के विद्यालयों में कक्षा 5 या 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति /जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग/ विशेष पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र विद्यालय के स्तर पर जारी किये जाने हैं।

उक्त निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार ने कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर जाति प्रमाण पत्र दिए जाने का निर्णय लिया है ताकि विद्यार्थियों को आरक्षण के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार से सुविधाऐं प्राप्त हो सकें एवं विद्यार्थियों को परेशानी नहीं हो।

उक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

1. विद्यालय के प्राचार्यो/प्रधानाध्यापकों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछडा वर्ग के कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के वर्ष में एक बार जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र स्कूल स्तर पर ही भरवायें जायेगे।
2. आवेदन पत्र विद्यार्थी से भरवाए जाते समय संबन्धित स्कूल प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि निर्धारित आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियाँ सही– सही भरें ताकि विद्यार्थी को सही जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके। आवेदन पत्र में गलत प्रविष्टि अंकित कर देने से गलत प्रविष्टि के आधार पर गलत जाति प्रमाण पत्र जारी हो सकता है जिससे विद्यार्थी को भविष्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड सकता है । विद्यार्थी के सम्बन्ध में आवोदन पत्र में वांछित जानकारियों की सत्य प्रविष्टि करवाने की जिम्मेदारी प्राचार्य/प्रधानाध्यापक की रहेगी।
3. उक्त दस्तावेजों को बनवाने के लिये सितम्बर/अक्टुबर माह में कार्यवाही की जायेगी।
4. प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा उक्त दस्तावेजो को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के परिक्षेत्र में स्थापित ई–मित्र/सी.एस.सी केन्द्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(100)

5. सक्षम प्राधिकारी उक्त आवेदनों की नियमानुसार जाँच कर समयावधि 30–60 दिवस में प्रमाण पत्र जारी करेगें तथा यदि किसी विधार्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है तो उसकी सूचना कारण सहित प्रधानाध्यपक/प्राचार्य को दी जावे एवं प्राधानाध्यपक/प्राचार्य द्वारा नियमानुसार इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी को अपील की जावे।
6. जाति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा विद्यार्थीयों को सुरक्षित सेलोफैन कवर(Cellophane Cover) में उपलब्ध करवा दिया जावे तथा एक प्रति संबंधित वर्ग के छात्र–छात्राओं को लाभ/रियायतें/सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु विधालय में सुरक्षित रखी जावें।

अतः राज्य में संचालित समस्त सरकारी/गैरसरकारी विद्यालयों के प्राचार्यों/प्रधानाध्यापक उक्त आदेश के अनुसरण में उपरोक्त वर्णित प्रक्रियान्तर्गत जाति प्रमाण पत्र जारी करवायेंगे।

यह परिपत्र शिक्षा विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

17/2

(अशोक जैन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः–एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/पार्ट–3/7202-75 जयपुर दिनांक 21/02/2017

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
3. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर .....
6. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर(मुख्यावास) को ई–मेल करवाने बाबत्।
8. रक्षित पत्रावली

(रवि जैन)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

(95)